Bihar board class 8th civics notes chapter 6 न्यायिक प्रक्रिया

पाठ का सारांश-न्यायिक प्रक्रिया में पुलिस, वकील और न्यायाधीश की अपनी-अपनी भूमिका होती है। जहाँ न्याय दिलाने की प्रक्रिया में पुलिस पहली कड़ी है, वहीं न्यायाधीश का निर्णय एक अंतिम कड़ी।

थाने में रिपोर्ट :- किसी विवाद के उग्र होने पर या कोई संगीन अपराध घटित होने पर लोगों को पहले थाना जान होता है। वहाँ मामले का एफ. आई. आर. (प्रथम दृष्ट्या रिपोर्ट) कराना होता है। थाना प्रभारी से एफ. आई. आर. की नकल-प्रति निःशुल्क मिलती है जो ले लेनी चाहिए। यदि कोई थानेदार एफ. आई. आर. दर्ज करने से इनकार करता है तो डाक और इंटरनेट के माध्यम से भी पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट को एफ. आई. आर. दर्ज करवाई जा सकती है। एफ. आई. आर. उसी थाना क्षेत्र में दर्ज करवाई जाती है जिस थाना क्षेत्र में घटना हुई है।

मामले की छानबीन:—एफ. आई. आर. दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की छानबीन करती है। घटना स्थल का निरीक्षण और आस-पास के लोगों से मामले की पूछताछ करती है।

गिरफ्तारी:-मामले की छानबीन से यदि पुलिस को लगे कि जिस व्यक्ति के खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज करवाई गई है, वह प्रथम दृष्टा या दोषी लगता है, तो पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है। बिना अपराध बताए किसी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है। किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पुलिस के लिए आवश्यक है।

जुर्म कबूल:-थाने में किसी के जुर्म कबूल करने का कोई अर्थ नहीं होता। इससे सजा नहीं होती। सजा तब होगी जब कोई मजिस्ट्रेट के सामने अपना जुर्म कबूल करे ।

पुलिस का काम:—पुलिस का काम सिर्फ मामले की छानबीन करना, गिरफ्तारी करना और न्यायालय में सबूत पेश करना है।

वकील का काम:-मामला अदालत में जाने पर मुकदमे से जुड़े पक्ष और विपक्ष दोनों लोग अपने-अपने वकील ठीक करते हैं। वकीलों का काम अपने-अपने पक्ष के मुवक्किलों के पक्ष में दलीलें पेश करना, तर्क-वितर्क करना है।

न्यायाधीश का काम:—न्यायाधीश वकीलों के तर्क सुनकर अपनी राय बनाते हैं। फिर वे कानून के अनुसार न्याय करते हुए अपना फैसला सुनाते हैं।
मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ सत्र न्यायाधीश में अपील की जा सकती है और सत्र न्यायालय के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में सत्र न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुनवाई नहीं होती, अभियुक्त या गवाह नहीं बुलाये जाते । वहाँ तो केवल मामले की जानकारी की फाइल के आधार पर ही फैसला होता है। हमारे राज्य का उच्च न्यायालय, राज्य की राजधानी पटना में है।

https://www.evidyarthi.in/